

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

गृह (ग्रुप-6) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
डायरी संख्या ...512.....  
दिनांक २४।८।२०२२

क्रमांक-प. 3(16)गृह-1/2017पार्ट

जयपुर, दिनांक :

—: आज्ञा :—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2019 की आरक्षित सूची में चयन किये जाने की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 में यथा उपबंधित सम्यक विज्ञापन के अनुसरण में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी(अस्त्रक्षेप) के पद पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित /नियम/ 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन पर एतद द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है:—

| क्र.सं. | मेरिट संख्या | रोल नं० | अभ्यर्थी का नाम | खण्ड        | जन्म तिथि  | वर्ग   |
|---------|--------------|---------|-----------------|-------------|------------|--------|
| 1.      | आर-01        | 300225  | सुमित जाखड़     | अस्त्रक्षेप | 10.07.1994 | GE, RG |

उक्त अधिकारी द्वारा परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या 15 (Grade Pay-6000) पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित /नियम/ 2006, दिनांक 13.03.2006 के अनुसार वेतन देय होंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे एवं यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:—

1. उक्त नियुक्ति राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 के उपबंधों एवं अपेक्षाओं के अनुसार की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
2. सेवा में नियुक्ति किये गये अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलक्षियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।

पृष्ठ-2 पर जारी.....

स्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदर्भ नहीं होगा।

4. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुयार देय होंगे।
5. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1(2)वित्त / नियम / 06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त / नियम / 2013पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1) वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित SLP No. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
6. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पे—मैट्रिक्स लेवल संख्या—15 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. यदि अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियाँ सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
8. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में इनकी नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि इनके विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
9. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
10. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपरिथिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपरिथिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
12. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।

पृष्ठ-3 पर जारी.....

उक्त अभ्यर्थी निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अपनी उपरिथित रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस विभाग को सूचित करेगे। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। यदि निश्चित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति का इच्छुक नहीं है और उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।


14. उक्त नियुक्ति पत्र सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।
15. उक्त नियुक्ति पत्र श्री सुमित जाखड़ के समस्त मूल दस्तावेजों/योग्यता की जाँच के अध्यधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
 (रामनिवास मेहता)  
 संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1) सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय (गृह) राजस्थान, जयपुर।
- 3) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4) संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज० जयपुर।
- 5) निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरिथित प्रस्तुत करते समय श्री सुमित जाखड़ से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखित "बन्ध पत्र", बिन्दु संख्या 13 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने तथा बिन्दु संख्या 15 के अनुसार समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत ही इनकी उपरिथित स्वीकार की जाकर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री सुमित जाखड़ के पहले से ही राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज. में कार्यरत होने के कारण इनके सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 08, 09 एवं 14 के अन्तर्गत चरित्र स्त्यापन की जांच से मुक्त रखा जा सकेगा।
- 6) निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7) निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8) निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9) संबंधित अधिकारी द्वारा— निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
- 10) वेरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग — उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर "SSO Appointment (Ballistics) order Feb 2022" शीर्षक से अपलोड करने हेतु।
- 11) निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
 24/2/22  
 संयुक्त शासन सचिव, पुलिस